रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222257
CG-DL-E-05102020-222257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3085] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2020/आश्विन 13, 1942
No. 3085] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3465(अ).—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे वह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के लिए निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनूसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक उन्हें सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, इस आदेश की अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इसमें ऐसा निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय अन्य शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं उस धारा या उसके भाग में आता है, निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनूकूलन करते हैं, या उसका ऐसा उपांतरण या निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 के पहले सम्यक् रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम को ये सम्यक रूप की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, उसी विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में वैसे ही प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो ।

6. (1) इस आदेश की अनूसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन –

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता , दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो ।

(2) उप पैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्ररूप, उपविधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाणपत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार भी है) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को वर्तमान में विस्तारित और लागू केंद्रीय विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए विस्तारित केंद्रीय विधि के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ।

अनुसूची 1

(पैरा 3 देखें)

केंद्रीय विधियां

1. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

(2019 का 21)

धारा 2. - खंड (1) में उपखंड (iii) में "और" का लोप करें और इस प्रकार यथा विलोपित उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, -

"(iiiक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ; और" ।

2. भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(1996 का 27)

धारा 49क के पश्चात नई धारा का अंत:स्थापन – धारा 49 के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

अपराधों का प्रशमन। **"49क.** (1) धारा 47, धारा 48 और धारा 49 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रूपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा।"।

3. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

(1970 का 37)

धारा 1 – उपधारा (4) के खंड (क) में "बीस" शब्द के स्थान पर "चालीस" शब्द रखें।

धारा 25 के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन –

अपराधों का प्रशमन **"25क.** धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 24 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	धारा	प्रशमन की गई रकम	
1	2	3	
1	22(1), 22(2) और 24	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से अधिक नहीं होगी
		1 से 50	5000/- रुपये
		51 से 100	8,000/- रुपये
		101 से 500	12,000/- रुपये
		500 से अधिक	16,000/- रुपये:

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी:

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन मुख्य नियोजक या ठेकेदार के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मचारी को संदत्त किया जाएगा या कर्मचारियों में बराबर रकम का संदाय किया जाएगा और यदि कोई कर्मचारी पहचानने योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम ऐसी रीति में जमा की जाएगी, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।"।

IndiaCode

4. कारखाना अधिनियम, 1948

(1948 का 63)

धारा 2 – खंड (ड) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में "दस" और "बीस" के स्थान पर क्रमश: "बीस" और "चालीस" रखें ।

धारा 66 – उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर रखें -

"(ख) स्त्रियां सभी स्थापनाओं में सभी प्रकार के संकर्मों के लिए नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें, उनकी सहमति से सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए या नियोजक द्वारा अनुपालन की जाने वाली किसी अन्य ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रात: 6 बजे से पहले और सायं 7 बजे के पश्चात् भी नियोजित किया जा सकेगा ;"।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(1947 का अधिनियम संख्यांक 14)

धारा 2क – उपधारा (3) में "तीन वर्ष" स्थान पर "एक वर्ष" रखें ।

धारा 25च – खंड (ख) में "पंद्रह दिन" के स्थान पर "तीस दिन" रखें ।

धारा 25ट – उपधारा (1) में "सौ" के स्थान पर "तीन सौ" रखें ।

धारा 31 के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन -

अपराधों का प्रशमन "31क. धारा 25थ, धारा 25द, धारा 25प, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30क तथा धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	धारा	प्रशमन की रकम			
1	2	3			
1	25थ	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी			
2	25द	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 60 दिन की मजदूरी			
3	25प	(i) प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु. से अधिक नहीं होगी ; (ii) नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी ;			
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी		
		1 से 50	5000/-रु.		
		51 से 100	8000/-रु.		
		101 से 500	12000/-रु.		
		500 से अधिक	16000/-रु.		
4	26	(i) अवैध हड़ताल की दशा में प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु.से अधिक नहीं होगी (ii) अवैध तालाबंदी की दशा में किसी नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी :			
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी		
		1 से 50	5000/-रु.		
		51 से 100	8000/-रु.		
		101 से 500	12000/-रु.		
		500 से अधिक	16000/-रु.		
5	27 और 28	उपरोक्त धारा 26 के अनुसार अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए ।			
6	29	प्रत्येक कर्मकार के संबंध में 200/-रु. प्रतिदिन ।			
7	30क	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी ।			
8	31(1)	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर
		1 से 50	5000/-रु.	10,000/-रु.	15,000/-रु.
		51 से 100	8000/-रु.	16,000/-रु.	24,000/-रु.
		101 से 500	12000/-रु.	24,000/-रु.	36,000/-रु.
		500 से अधिक	16000/-रु.	32,000/-रु.	48,000/-रु.
9	31(2)	(i) प्रत्येक कर्मकार के लिए पहले अपराध के लिए 1,000/-रु., दूसरे अपराध के लिए 2,000/-रु. और तीसरे अपराध के लिए 3,000/-रु. (ii) नियोजक के लिए :			

		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर
		1 से 50	1500/-रु.	3,000/-रु.	6,000/-रु.
		51 से 100	3000/-रु.	6,000/-रु.	10,000/-रु.
		101 से 500	4000/-रु.	8,000/-रु.	15,000/-रु.
		500 से अधिक	5000/-रु.	10,000/-रु.	20,000/-रु.

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे ।

परंतु यह भी कि ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम संबद्ध कर्मचारी को संदत्त की जाएगी या कर्मकारों में बराबर-बराबर संदत्त की जाएगी और यदि कोई कर्मकार पहचान योग्य नहीं है तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।"।

6. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

(1946 का 20)

धारा 13ख के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन -

अपराधों का प्रशमन "13ग. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर पचास हजार रुपये की रकम के लिए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।" ।

7. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(1961 का 27)

धारा 34 के पश्चात् अंत:स्थापित करें -

अपराधों का प्रशमन "34क. (1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1), धारा 31 और धारा 32 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पांच हजार रुपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रुप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मकार को, जहां कहीं साध्य हो संदत्त किया जाएगा या कर्मकारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और यदि कोई कर्मकार पहचान योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।"।

8. भेषजी अधिनियम, 1948

(1948 का 8)

धारा 32 के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन -

जम्मू–कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत् 2011 (1955 ए.डी) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध "32ग. धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम जम्मू–कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 एडी) के अधीन अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में अंतर्विष्ट किया गया है और जो उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता रखता है, 1 जनवरी, 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त किए गए आवेदन के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया समझा जाएगा ।"।

9. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976

(1976 का 11)

धारा 9 के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन -

अपराधों का प्रशमन "9क. (1) इस अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा।"।

10. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) अधिनियम, 2014

(2014 का 07)

धारा 1 - उपधारा (2) में "जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें।

धारा 2 - उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार" के पश्चात् "जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार" अंत:स्थापित करें।

11. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

(1926 का 16)

धारा 9 को बदलना- धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र "9. रजिस्ट्रार, धारा 8 के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण पर, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ को इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है"।

[फा. सं. 11012/16/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3465(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Union territory of Jammu and Kashmir.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 3)

CENTRAL LAWS

1. THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ACT, 2019

(21 of 2019)

Section 2.— —In clause (1), in sub-clause (iii), omit "and" and after sub-clause (iii) as so omitted, insert—

"(iiia) the Union territory of Jammu and Kashmir, the Government of that Union territory; and".

2. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996

(27 of 1996)

Insertion of new section- After section 49, insert –

Compounding of offences.

"49A.(1)Any offence punishable under sections 47, 48 and 49 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount so specified:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged."

3. THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

(37 of 1970)

Section 1. - In sub-section (4), in clause (a), for the word "twenty", substitute the word "forty"**.**

Insertion of new section- After section 25, insert –

Compounding of offences.

"25A.—(1) Any offence punishable under sub-sections (1) and (2) of section 22 and section 24 may, either before or after the institution of the persecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Section	Compounding amount	
1	2	3	
1	22(1), 22(2) and 24	Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding

		1 to 50	Rs.5000/-
		51 to 100	Rs. 8,000/-
		101 to 500	Rs. 12,000/-
		More than 500	Rs. 16,000/-:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the principal employer or contractor, then seventy- five per cent. of the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned employee or equally amongst the employees and if the employees are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in the manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.".

4. THE FACTORIES ACT, 1948

(63 of 1948)

Section 2.- In clause (m), in sub-clauses (i) and (ii), for "ten" and "twenty", substitute "twenty" and "forty" respectively.

Section 66. - In sub-section (1), for clause (b), substitude-

"(b) women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work and they may also be employed, with their consent before 6 a.m. and beyond 7 p.m subject to such conditions relating to safety, holidays and working hours or any other condition, to be observed by the employer, as may be prescribed;".

5. THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

(14 of 1947)

Section 2A.- In sub-section (3), for "three years", substitute "one year"**.**

Section 25F.-In clause (b), for "fifteen days", substitute the words "thirty days"**.**

Section 25K.-In sub-section (1), for "one hundred", substitute "three hundred".

Insertion of new section- After section 31, insert –

Compounding of offences. **"31A.**(1) Any offence punishable under sections 25Q , 25R, 25U, 26, 27, 28, 29, 30A and sub-sections (1) and (2) of section 31 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:-

TABLE

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Section</th><th colspan="4">Compounding amount</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>25Q</td><td colspan="4">25 days wages last drawn by each workman.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>25R</td><td colspan="4">60 days wages last drawn by each workman.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">25U</td><td colspan="4">(i) By each workman Rs.150/- per day but not exceeding Rs. 3000/- in aggregate;
(ii) By employer Rs.300/- per day but not exceeding the amount in aggregate as shown below:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Number of workmen employed in the industry</td><td colspan="2">Amount not exceeding</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 to 50</td><td colspan="2">Rs. 5000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">51 to 100</td><td colspan="2">Rs. 8000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">101 to 500</td><td colspan="2">Rs. 12000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">More than 500</td><td colspan="2">Rs. 16000/-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">26</td><td colspan="4">(i) In case of illegal strike, Rs.150/- per day by each workman but not exceeding Rs.3000/- in aggregate;
(ii) In case of illegal lock-out Rs. 300/- per day by an employer but not exceeding the amount in aggregate as shown below:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Number of workmen employed in the industry</td><td colspan="2">Amount not exceeding</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 to 50</td><td colspan="2">Rs. 5000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">51 to 100</td><td colspan="2">Rs. 8000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">101 to 500</td><td colspan="2">Rs. 12000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">More than 500</td><td colspan="2">Rs. 16000/-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>27 and 28</td><td colspan="4">As per section 26 above for illegal strike and lockout.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>29</td><td colspan="4">Rs. 200/- per day in respect of each of the workman.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>30A</td><td colspan="4">25 days wages last drawn by each workman.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">8</td><td rowspan="5">31(1)</td><td>Number of workmen employed in the industry</td><td>For first occasion</td><td>For second occasion</td><td>For third occasion</td></tr>
<tr><td>1 to 50</td><td>Rs. 5000/-</td><td>Rs. 10,000/-</td><td>Rs. 15,000/-</td></tr>
<tr><td>51 to 100</td><td>Rs. 8000/-</td><td>Rs. 16,000/-</td><td>Rs.24,000/-</td></tr>
<tr><td>101 to 500</td><td>Rs. 12000/-</td><td>Rs.24,000/-</td><td>Rs.36,000-</td></tr>
<tr><td>More than 500</td><td>Rs. 16000/-</td><td>Rs.32,000-</td><td>Rs.48,000/-</td></tr>
</table>

LawCode

<table>
<tr><td rowspan="6">9</td><td rowspan="6">31(2)</td><td colspan="4">(i) For each workman, for the first offence Rs.1000/- for the second offence Rs.2000/- and for the third offence Rs.3000/-
(ii) For employer:</td></tr>
<tr><td>Number of workmen employed in the industry</td><td>For first occasion</td><td>For second occasion</td><td>For third occasion</td></tr>
<tr><td>1 to 50</td><td>Rs. 1500</td><td>Rs. 3000</td><td>Rs. 6000</td></tr>
<tr><td>51 to 100</td><td>Rs.3000</td><td>Rs.6000</td><td>Rs.10000</td></tr>
<tr><td>101 to 500</td><td>Rs.4000</td><td>Rs.8000</td><td>Rs.15000</td></tr>
<tr><td>More than 500</td><td>Rs.5000</td><td>Rs.10000</td><td>Rs.20000:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compoundable only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned workman or equally amongst the workmen and if any workmen are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released/discharged.".

6. THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1946

(20 of 1946)

Insertion of new section- After section 13B insert-

Compounding of offences.

"13C.(1) Any offence punishable under the Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount of not more than rupees fifty thousand, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for the amount of rupees fifty thousand:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.".

7. THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

(27 of 1961)

After section 34, insert –

Compounding of offences.

"34A.(1)Any offence punishable under sub-section (1) of section 29, section 31 and section 32 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than five thousand rupees, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified above:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then seventy-five per cent of the compounding amount received from him, shall be paid wherever it is feasible to the concerned worker or equally amongst the workers and if any workmen are not identifiable then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released/discharged.".

8. THE PHARMACY ACT, 1948

(8 of 1948)

Insertion of new section- After section 32, insert –

Special provisions regarding persons registered under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, Samvat, 2011 (1955 A.D).

"32C. Notwithstanding anything contained in section 32, any person whose name has been entered in the register of pharmacists maintained under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, 2011 (1955 A.D) and possesses qualification prescribed under the said Act shall be deemed to have been entered in the register of pharmacists prepared and maintained under Chapter IV of this Act, subject to an application to be made in this behalf within a period of one year commencing from the 31st October, 2020 and payment of such fee as may be prescribed by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir.".

9. THE SALES PROMOTION EMPLOYEES ACT, 1976

(11 of 1996)

Insertion of new section- After section 9, insert –

Compounding of offences.

"9A.(1)Any offence punishable under sections 4, 5 and 7 or any rules made under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.".

IndiaCode

10. THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014

(7 of 2014)

Section 1.- In sub-section (2), omit "except the State of Jammu and Kashmir".

Section 2.- In sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (ii), after "the Government of the National Capital Territory of Delhi", insert "the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

11. THE TRADE UNIONS ACT, 1926

(16 of 1926)

Substitution of section 9- For section 9, substitute –

Certificate of registration.

"**9.**The Registrar, on registering a Trade Union under section 8, shall issue a certificate of registration within a period not exceeding thirty days subject to the fulfillment of other provisions of this Act in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the Trade Union has been duly registered under this Act".

[F. No. 11012/16/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.